वार्ब (गृह मंत्रालय)

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड-

गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (वार्ब) का गठन सेवानिवृत्त सी. पी. एफ. कार्मिकों, उनके निकट संबंधियों और अलग हुए परिवारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया है।

I. वार्ब का उद्देश्य:-

1. कल्याण गतिविधियों और शिकायत निवारण:-

क) सेवानिवृत्त सी पी एफ कार्मिक और मृत कार्मिकों के परिजनों से प्राप्त शिकायतों को दूर करना।

ख) सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों के हित के लिए डेटा का एकत्रीकरण।

ग) मृत कार्मिक के सभी सेवांत बकाया राशि का एकत्रीकरण।

घ) सेवानिवृत्त कार्मिक और निकट संबंधियों के मामले में गृह मंत्रालय की मुख्य सलाहकार समिति के रुप में कार्य करना ।

ड) सेवानिवृत्त कार्मिक और निकट संबंधियों के कल्याण के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना।

2. पुनर्वास और रोजगार:-

क) सेवानिवृत्त बल कार्मिकों के लिए गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का प्रबंध करना।

ख) केन्द्रीय पुलिस बल या गैर सरकारी क्षेत्रों में विधवाओं/ निकट संबंधियों के रोजगार का प्रबंध करना।

ग) (i) सेवानिवृत्त/ अक्षम बल कार्मिको हेतु:

(ii) मृत बल कार्मिक के निकट संबंधी के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना।

घ) स्वरोजगार अथवा अन्य रोजगार के लिए अपने संगठन में और वृत्तिक रुप से परामर्श प्रदान करना ।

II. कल्याण और पुनर्वास बोर्ड का गठन:-

1. वार्ब का सर्वोत्तम निकाय- गृह मंत्रालय
2. केन्द्रीय कल्याण अधिकारी- सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, 3 वर्षो के लिए, क्रमावर्ती आधार पर।
3. राज्य कल्याण अधिकारी- प्रत्येक राज्य की राजधानी में।
4. जिला कल्याण अधिकारी- एक जिला मुख्यालय में, जो आस- पास के जिलों के लिए भी कार्य करेगा।

1. वार्ब का सर्वोत्तम निकाय:-

क) अध्यक्ष	-	महानिदेशक, भा. ति.सी.पु.
ख) उपाध्यक्ष	-	अपर महानिदेशक, भा. ति.सी.पु.
ग) सदस्य सचिव	-	पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), भा. ति.सी.पु.
घ) सदस्य	-	के.रि.पु. बल, सी.सु.बल, के. औ. सु.बल, भा. ति.सी.पु., स.सीमा.बल, आसाम राइफल के पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)

2. वार्ब केन्द्रीय कार्यालय :-

क) सचिव	-	01 उप कमांडेंट, के.रि.पु. बल
ख) कार्यालय प्रभारी	-	01 निरीक्षक (अनुसचिवीय)
ग) संबंधित सहायक	-	03 उप निरीक्षक (अनु.)
घ) सहायक स्टॉफ	-	03 मुख्य सिपाही/ सिपाही (जनरल ड्यूटी)

वार्ब के कार्य (सर्वोत्तम निकाय):-

क) गृह मंत्रालय और केन्द्रीय पुलिस बलों के बीच कड़ी के रुप में कार्य करना तथा निकट संबंधियों/ सेवानिवृत्त कार्मिकों के कल्याण के लिए सलाहकार समिति के रुप में कार्य करना।

ख) अति विशिष्ट/ विशिष्ट/ गृह मंत्रालय और सीधे याचिकादाता से प्राप्त शिकायतों को दूर करना।

ग) जिला कल्याण कार्यालय, राज्य कल्याण कार्यालय, केन्द्रीय कल्याण कार्यालय, वार्ब कार्यालय और गृह मंत्रालय से प्राप्त शिकायतों का अनुवीक्षण।

घ) सेवानिवृत्त और अक्षम कार्मिकों केः-

i. व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना ।
ii. गैर सरकारी क्षेत्र/ व्यक्तिगत कंपनियों से सम्पर्क कर सेवानिवृत्त बल कार्मिकों/ मृत कार्मिकों के परिजनों को पुनर्रोजगार प्रदान करना।
iii. गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों गैर सरकारी क्षेत्र/ व्यक्तिगत कंपनी में संपर्क स्थापित कर विधवाओं/ निकट संबंधियों को रोजगार दिलाने का प्रयास करना।
iv. सेवानिवृत्त बल कार्मिकों/मृत कार्मिकों के परिजनों के लिए घरेलू एवं व्यवसायिक परामर्श देना तथा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना।

ड) पेशन लाभ सेवांत बकाया, शिकायतों और पुनर्वास/ रोजगार के संबंध में, सेवानिवृत्त बल कार्मिकों और निकट संबंधियों का त्रुटि रहित, डेटा का अद्यतनीकरण।

च) वेबसाइट का निर्माण और समय- समय पर अद्यतनीकरण।

छ) वित्तीय संस्थाओं और बीमा कम्पनियों से वार्ता कर, सेवानिवृत्त बल कार्मिकों और निकट संबंधियों के लिए निधियों का प्रबंधन और बीमा संरक्षण पेंशन योजना का लाभ प्रदान करना।

ज) कल्याण के लिए कार्य करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर सेवानिवृत्त बल कार्मिकों और निकट संबंधियों के कल्याण के लिए निधि प्रबंधन, पुनर्रोजगार, परामर्श, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना।

झ) सेवानिवृत्त बल कार्मिकों और निकट संबंधियों के कल्याण के लिए निधियों का प्रबंध करना।

ञ) सामान्य जनता के बीच केन्द्रीय पुलिस बल की छवि को सुधारने का प्रयास करना।

ट) सेवानिवृत्त बल कार्मिक और मृत कार्मिक के परिजनों के कल्याण के लिए पूर्ववर्ती केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल संस्था से सम्पर्क स्थापित करना।

ठ) सेवानिवृत्त बल कार्मिक और मृत कार्मिकों के परिजनों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना।

ड) सेवानिवृत्त बल कार्मिकों और मृत कार्मिकों के निकटतम परिजनों के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास करना और उन्हें- आवास, चिकित्सा सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं, पेट्रोलियम उत्पाद आबंटित कराने, एस.टी.डी. बूथ और पी सी ओ आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

ढ) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना लागू करवाना।